न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
003/2021	**11.01.2021**	**17.03.2021**

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

सुरेश चन्द पलोड पुत्र सोहन लाल पलोड (विक्रेता/मालिक)
फर्म श्री नाथ जल पान गृह,
पुराना बस स्टैण्ड, पाँच बत्ती चौराहा,
कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राज.
स्थाई निवासी वार्ड नं. 12 कुम्हारो का मोहल्ला,
कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदनलाल गूजर ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इनका गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2(क) के क्रमांक 53 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक **FSSA/2020/818/21.10.2020** के अनुसार विशेष अभियान शुद्ध के लिये युद्ध अभियान दिनांक 26.10.2020 से 14.11.2020 तक आयोजित करने के संबंध में इनका कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया है। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छाया प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.10.2020 को समय 01.08 पी.एम.पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 10:25:22 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैसर्स श्री नाथ जलपान गृह पुराना बस स्टैण्ड कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.) ने जिला कलक्टर महोदय द्वारा गठित संयुक्त जॉच दल के साथ पहुँचें। वहाँ पर सुरेश चन्द पलोड पुत्र सोहन लाल पलोड मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर सुरेश चन्द पलोड पुत्र सोहन लाल पलोड ने स्वंय को मैसर्स श्री नाथ जलपान, गृह पुराना बस स्टैण्ड, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) का मालिक/प्रोपरायटर होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया, जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सुरेश चन्द पलोड की उपस्थिति में मैसर्स श्री नाथ जलपान, गृह पुराना बस स्टैण्ड, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) का निरीक्षण करने पर पाया कि में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में मावा, गुलाब जामुन, मावा निर्मित मिठाई, रसगुल्ला बीकाजी ब्राण्ड लालजी ब्राण्ड नमकीन आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दुकान के फ्रीजर में पॉलीथीन बैग में मावा **(Khoya)** लगभग 4 किलोग्राम दुकान के फ्रीजर में पॉलीथीन बैग में वास्ते आम जनता को विक्रय करने हेतु अपने कब्जे में रखे हुये को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा हुआ तो सुरेश चन्द पलोड को फार्म नं. **VA Form** दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता सुरेश चन्द पलोड व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह मावा **(Khoya)** को वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय कर रहा हूँ, दुकान फ्रीजर में पॉलीथीन बैग में रखे हुये लगभग 4 किलोग्राम मावा **(Khoya)** रखे हुये में से 1 किलोग्राम मावा **(Khoya)** बॉट मापक मशीन से साफ व सूखी अलग से स्टील की ट्रे में तुलवाकर वास्ते मानक स्तर की जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता सुरेश चन्द पलोड को उनके माँगे अनुसार बाजार भाव से रू0 170/– अक्षरे एक सौ सत्तर रूपये मात्र नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये गये तथा आवेदक ने मय हस्ताक्षर सील मोहर लगायी। क्रय किये गये 1 किलोग्राम मावा **(Khoya)** को नियमानुसार अच्छी तरह हिला मिला कर एक रूप कर किया। नमुना क्रय रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा 1 किलोग्राम मावा **(Khoya)** को सुरेश चन्द्र पलोड एवं गवाहान को दिखाकर 250–250 ग्राम अलग–अलग बाट मापक मशीन से तुलवा कर चार साफ व सूखी कॉचकी शिशियों में बराबर–बराबर भरकर बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 20–20 बूंदे प्रत्येक शीशी में डालकर अच्छी तरह हिला–मिला कर एक रूप कर शिशियों के ढक्कन को एयर टाईट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिये लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 10:25:22 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AM-1231** एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता सुरेश चन्द पलोड तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. **AM-1231** नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सुरेश चन्द पलोड ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये मौके पर तैयार सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया, दो फार्म सं. 6 की प्रतियॉ अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ को नमूना का एक तैयार शुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया व शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं 6 की एक प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा करवाने हेतु तैयार किये एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा करवाया एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने रोशनलाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 01.11.2020 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष 2 भाग व चौथा भाग डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 01.11.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/ 2020/4564 दिनांक 06.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0 एस0/240 /एक्ट/2020/249 दिनांक 02.11.2020 के अनुसार एफ.बी.ओ. सुरेश चन्द पलोड से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 10:25:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मावा **(Khoya)** एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1((zx)** का उल्लघंन करने के कारण अवमानक (**Sub-Standard**) स्तर का होना पाया गया जिसकी जॉच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है, जिसकी सूचना सुरेश चन्द पलोड पुत्र सोहन लाल पलोड एफ.बी.ओ मैसर्स श्री नाथ जलपान गृह, पुराना बस स्टैण्ड, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ को मय रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी थी, जिसकी रजिस्ट्री रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। सम्पूर्ण दस्तावेजों का संग्रहण पश्चात् पत्रावली अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष दिनांक 31.12.2020 को प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत की ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 की धारा 36 की उप धारा 3 (ङ) के तहत पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन कर सहमत होकर पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/52 दिनांक 05.01.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण में अंकित दोषी व्यक्ति व संस्थान के विरूद्ध न्याय निर्णयन आवेदन न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति जारी कर प्राधिकृत किया है। प्रकरण में अंकित दोषी व्यक्ति सुरेश चन्द पलोड पुत्र सोहन लाल पलोड (विक्रेता/मालिक) फर्म श्री नाथ जलपान गृह, पुराना बस स्टैण्ड, पाँच बत्ती चौराहा, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ राज, स्थाई निवासी वार्ड नं. 12 कुम्हारो का मोहल्ला, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) ने मावा **(Khoya)** को अवमानक (**Sub-Standard**) स्तर का बनाकर विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 17.03.2021 को अप्रार्थी स्वयं हाजिर आया, प्रकरण में किसी भी प्रकार से लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं कर मौखिक रूप से निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी की सामान्य गलती के कारण उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक स्तर का पाया गया है, इससे पूर्व कभी की अप्रार्थी का खाद्य पदार्थ अवमानक स्तर का नहीं पाया गया है, अतः अप्रार्थी का प्रथम अपराध होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही में अप्रार्थी को माफ किया जावें एवं अप्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हमने हाजिर अप्रार्थीगण को सुना। अप्रार्थी ने जानकारी एवं नियमों की अनभिज्ञता के कारण गलती हुई है जिसे प्रथम दोष माना जाकर माफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 10:25:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किये जाने की ईल्तजा की गई। हमने पत्रावली को बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फार्म नंबर 5 ए की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ मावा **(Khoya)** का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि नमूना खरीद बिल से होती हैं, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर हैं, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 31.10.2020 का अवलोकन किया। मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 31.10.2020 से जाहिर होता हैं कि उक्त खाद्य पदार्थ मावा **(Khoya)** जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध हैं से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1231** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 53 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता हैं कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक रोशनलाल के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-1231** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद को अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता हैं कि पत्रवाहक रोशनलाल द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 01.11.2020 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गयें। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसएए/2020/4564 दिनांक 06.11.2020 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 240/Act/2020/249 Dated 02-11-2020** की प्रति जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 10:25:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई हैं, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 240/Act/2020/249 Dated 02-11-2020** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Report No LS 240/Act/2020/249 Dated 02-11-2020

Certified that I RAVI SETHI duly appointed as under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Dr. Madan Lal Gujar Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Khoya (Mawa) bearing code no, and serial no. AM- 1231 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh on 01.11.2020 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 53 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.

I found the sample to be Dairy product and analogues falling under Regulation No. 2.1.6(2b) Mawa (Khoya) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011.The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 01.11.2020 to 02.11.2020 and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The Sample packed in wide mouth glass jar.
(ii) Physical appearance:- White in color. Solid material.
(iii) Label : -- Losse Sample ofMawa. As perform no. vi.

Opinion:- The sample of Khoya (Mawa) Bearing code no. and serial no. AM- 1231 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is sub- standardas Milk Fat (dry matter basis) minimum (m/m) % & Total Solid minimum % (m/m) are does not meet as per prescribed standards & Provision as per Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल गूजर द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 53 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 01.11.2020 से 02.11.2020 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Dairy product and analogues falling under Regulation No. 2.1.6(2b) Mawa (Khoya) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011.** हैं, एवं उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1231** मावा **(Khoya)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत अवमानक **(sub-standard)** स्तर का पाया गया है। जिसकी पुष्टि

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 10:25:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्वरूप खाद्य विश्लेषक द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई है जो कि रिकार्ड पर है। हमने अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2020/4564 दिनांक 06.11.2020 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/ एफएसएसए/2021/52 दिनांक 05.01.2021 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(**e**) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है। विपक्षीगण द्वारा परिवाद के संबंध में स्वीकारोक्ति प्रस्तुत की जाकर परिवाद को स्वीकार किया जाना जाहिर होता है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :–

25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

- (i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;
- (ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and
- (iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 10:25:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

26. Responsibilities of the Food business operator.

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.

(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

- (i) which is unsafe; or
- (ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or
- (iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or
- (iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or
- (v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.

(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.

(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

(1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.

(2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is–

- (a) Supplied after the date of its expiry; or
- (b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or
- (c) Unsafe or misbranded; or
- (d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or
- (e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 10:25:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(f) received by him with knowledge of being unsafe.

(2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –

(a) sold after the date of its expiry; or

(b) handled or kept in unhygienic conditions; or

(c) misbranded; or

(d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or

(e) received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी श्री सुरेश चन्द पलोड पुत्र सोहन लाल पलोड (विक्रेता/मालिक) फर्म श्री नाथ जल पान गृह, पुराना बस स्टैण्ड, पाँच बत्ती चौराहा, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राज. स्थाई निवासी वार्ड नं. 12 कुम्हारो का मोहल्ला, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,

(c) The repetitive nature of the contravention,

(d) Whether the contravention is without his knowledge, and

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 10:25:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.

Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

विपक्षी की दोष सिद्धि घोषित की गई है, जिससे अर्थदण्ड विपक्षी को किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय/निर्माता किये जाने से अभियुक्त श्री सुरेश चन्द पलोड पुत्र सोहन लाल पलोड (विक्रेता/मालिक) फर्म श्री नाथ जल पान गृह, पुराना बस स्टैण्ड, पाँच बत्ती चौराहा, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राज. स्थाई निवासी वार्ड नं. 12 कुम्हारो का मोहल्ला, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>17.03.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 10:25:22 IST
Reason: SelfAttested